(ख) उक्त खानों से कोयले के उत्पादन की वार्षिक मात्रा कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान, देश में खान-वार कितना-कितना कोयला निकाला गया तथा उससे कितना लाभ हुआ;

(घ) क्या सरकार ने कोयले का पता लगाने के लिए देश के कुछ ऐसे भागों का सर्वेक्षण किया है, जहां कोयले के भण्डार उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) देश में कोल इण्डिया लि. (इं.लि.) की और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) की खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	कोलियरीयों की संख्या
1. कोल इंडिया लि.	510
2. सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि.	71

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. की कोलियरियों के पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान उत्पादित किए गए कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:-

(उत्पादन मि.टन में)

वर्ष	को.इं.लि.	सिं.को.कं.लि.
1993-94	216.10	25.21
1994-95	223.07	25.65
1995-96 (अनंतिम)	237.28	26.76

(ग) कोयला कंपनियों के लाभ तथा हानि का मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजन से कम्पनीवार कोयले के उत्पादन की सांख्यिकी तैयार की जाती है।

वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान देश की कोयला खानों से किए गए कोयले के कम्पनीवार उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

	(मि.टन में)
ई.को.लि.	27.81
भा.को.को.लि.	27.81
सें.को.लि.	30.76
ना.को.लि.	35.20
वे.को.लि.	29.81
सा.ई.को.लि.	53.17
मा.को.लि.	32.70
ना.ई.को.	0.82
जोड़ को.इ.लि.	237.28
सिं.को.कं.लि.	25.76

वर्ष 1995-96 के लिये इन कोयला कंपनियों की लाभ अथवा घाटे की स्थिति का पता इनके वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तथा इन लेखों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए जाने और कोयला कंपनियों की वार्षिक आम सभा की बैठक में अंगीकृत किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (के.खा.आ. एवं डि.सं.लि.) जो कि को.इं.लि. की एक सहायक कंपनी है, द्वारा ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किया जा रहा है, जहां कि नियमित आधार पर कोयले के भण्डार उपलब्ध हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान के.खा.आ.डि.सं.लि. ने ऐसे क्षेत्रों में 2,72,403 मी. ड्रिलिंग कार्य किया है और इसने देश के विभिन्न भागों के 28 ब्लाकों में 2446 मि.टन कोयले के प्रमाणित भण्डारों का अन्वेषण किया है।

व्यावसायिक संस्थानों के लिए अनुदान

118. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितनी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) इन संस्थाओं में राज्य-वार कितने छात्र पंजीकृत हैं; और

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, सरकार ने राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना-कितना अनुदान प्रदान किया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम बैरिया): (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, अब तक 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में कुल 18709 व्यावसायिक सेक्शन 6476 स्कूलों में संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 13602 व्यावसायिक सेक्शन 4775 स्कूलों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) योजना में प्रावधान के अनुसार, राज्य से अपेक्षा

की जाती है कि वह 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रति सेक्शन 25 छात्र नामांकित करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया अनुदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शिक्षा विभाग

व्यावसायिक शिक्षा प्रभाग

शीर्षक:- माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया अनुदान)

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	640.58	327.45	--
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	--
3.	असम	291.54	164.42	108.52
4.	बिहार	408.51	157.87	415.39
5.	गोआ	56.93	100.42	115.04
6.	गुजरात	781.73	--	--
7.	हरियाणा	228.18	379.14	621.85
8.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--
9.	जम्मू और कश्मीर	22.55	--	--
10.	कर्नाटक	1012.69	729.55	328.32
11.	केरल	352.40	885.23	929.35
12.	मध्य प्रदेश	--	20.80	--
13.	महाराष्ट्र	2035.74	2449.69	3134.44
14.	मणिपुर	7.40	40.24	35.24
15.	मेघालय	--	--	13.67
16.	मिजोरम	21.92	--	8.80
17.	नागालैंड	1.40	--	--
18.	उड़ीसा	650.00	102.20	--
19.	पंजाब	253.74	265.02	434.53
20.	राजस्थान	385.19	556.54	--
21.	सिक्किम	7.15	--	--
22.	तमिलनाडु	700.16	706.55	--
23.	त्रिपुरा	4.12	--	--
24.	उत्तर प्रदेश	258.42	265.37	502.40
25.	पश्चिम बंगाल	--	--	--
26.	अण्डमान और निकोबार	--	--	--
27.	चंडीगढ	22.77	23.94	26.86
28.	दादरा और नगर हवेली	2.79	--	--
29.	दमन और दीव	3.09	2.66	5.06
30.	दिल्ली	--	105.00	50.23
31.	लक्ष्यद्वीप	--	--	--
32.	पांडिचेरी	17.44	16.26	14.06
	कुल योग	8166.44	7298.02	6745.09

कोल इंडिया लि० के अन्तर्गत कंपनियों के अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के मामले

119. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30.10.1995 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों में कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं एवं किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण लंबित हैं;

(ख) इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण लंबित रहने के बावजूद, किन अधिकारियों को प्रत्येक कम्पनी में पदोन्नति दे दी गई है;

(ग) क्या इस तरह पदोन्नति दिया जाना नियमों के विपरीत है; और

(घ) यदि हां, तो नियम विरुद्ध पदोन्नति दिए जाने के आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) 30.11.95 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) और इसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत 276 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले थे।

(ख) को.इं.लि. की सहायक कंपनियों में 17 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया था, यद्यपि उनके विरुद्ध मामले लंबित पड़े थे।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित 17 अधिकारियों को जिन्हें पदोन्नति दी गई है, यह पदोन्नति नियमों के विरुद्ध नहीं है। कोल इंडिया लि० के संगत